

न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)
(समक्ष:-सतीश कुमार गुप्ता)

आप0 अपील क्र0-73 /2017
प्रस्तुति दिनांक-21.08.2017

हरेंद्र निगम पुत्र रमेशचंद्र निगम आयु 32 वर्ष
निवासी ग्राम विण्डवा थाना सरायछोला जिला मुरैना
हाल निवासी ललितपुर कॉलोनी मकान नंबर 57
 थाना कंपू लश्कर जिला ग्वालियर (म0प्र0)
अपीलार्थी / अभियुक्त

// विरुद्ध //

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र गोहद जिला भिण्ड,
 (म0प्र0)
प्रत्यर्थी / अभियोगी

अपीलार्थी की ओर से-श्री यजवेंद्र श्रीवास्तव
 अधिवक्ता।
 प्रत्यर्थी राज्य की ओर से-श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर
 लोक अभियोजक।

न्यायालय श्री अमित कुमार गुप्ता, जे.एम.एफ.सी गोहद
 द्वारा आपराधिक प्र0क्र0-764/2011 में पारित
 निर्णय एवं दोषसिद्धी व दण्डादेश दिनांकित 31.07.
 2017 से उत्पन्न आपराधिक अपील क्रमांक-73/2017

// निर्णय //

(आज दिनांक 03-05-2018 को घोषित)

01. अपीलार्थी/अभियुक्त हरेंद्र निगम की ओर से धारा 374 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत प्रस्तुत उक्त

आपराधिक अपील का निराकरण किया जा रहा है। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद (श्री अमित कुमार गुप्ता) के द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 764/2011 (म०प्र० राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र गोहद, जिला भिण्ड विरुद्ध हरेंद्र निगम) में पारित निर्णय एवं दोषसिद्धि व दण्डादेश दिनांकित 31.07.2017 से व्यथित होकर पेश की है, जिसमें विचारण न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त हरेंद्र निगम को धारा 174-क भा०दं०वि० के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के समान अवधि के कारावास से एवं 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है एवं अर्थदण्ड के भुगतान में व्यतिक्रम होने पर 1 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताए जाने का आदेश दिया गया है।

02. विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि थाना गोहद चौराहा के अपराध क्रमांक 33/11 धारा 420, 467, 468 व 506-बी भा०दं०सं० के अंतर्गत अभियुक्त हरेंद्र निगम की गिरफ्तारी वांछित होने एवं उसके फरार हो जाने के कारण थाना प्रभारी गोहद चौराहा की ओर से अभियुक्त हरेंद्र निगम के विरुद्ध धारा 82 दं०प्र०सं० के अंतर्गत उद्घोषणा जारी किये जाने की कार्यवाही हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय श्री सुशील कुमार जे०एम०एफ०सी० गोहद जिला भिण्ड के द्वारा जांच उपरांत यह पाते हुये अभियुक्त हरेंद्र निगम उक्त अपराध में वांछित होने के बावजूद फरार हो गया है, उसकी उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने हेतु धारा 82 दं०प्र०सं० के अंतर्गत उद्घोषणा प्रकाशित किये जाने के उपरांत न्यायालय के समक्ष नियत दिनांक 26.07.11 को अभियुक्त हरेंद्र निगम के उपस्थित नहीं होने के कारण थाना गोहद चौराहा में अभियुक्त हरेंद्र निगम के विरुद्ध धारा 174-क भा०दं०सं० के अंतर्गत अप०क्र० 102/11 पर अपराध पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधानी कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत अभियोग पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

03. विचारण न्यायालय के द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 174-क भा०दं०सं० के अंतर्गत आरोप विरचित कर अभियुक्त को पढकर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध घटित किया जाना अस्वीकार करते हुये विचारण की मांग किये जाने पर अभियोजन पक्ष की ओर से मामले के समर्थन में साक्षीगण उदय सिंह गुर्जर अ०सा०-1, बी०एल० बंसल अ०सा०-2, मोहर सिंह अ०सा०-3, नरेंद्र कुमार

त्रिपाठी अ0सा0-4, तहसीलदार सिंह अ0सा0-5 व अमरेश सिंह अ0सा0-6 को परीक्षित कराया गया है।

04. अभियोजन साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात् धारा 313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किये जाने के दौरान अभियुक्त ने निर्दोष होना एवं रंजिशन झूठा फंसाया जाना प्रकट करते हुये बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया। अतः योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचारण पश्चात् उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत अंतिम तर्क श्रवण किये जाकर गुण-दोषों के आधार पर मामले का निराकरण करते हुये दिनांक 31. 07.2017 को आलोच्य निर्णय पारित करते हुये अभियुक्त को धारा 174-क भा0दं0सं0 के आरोप में दोषसिद्ध किया जाकर विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के समान अवधि तक के कारावास से व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है एवं अर्थदण्ड के भुगतान में व्यतिक्रम होने पर 1 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताए जाने का आदेश दिया गया है, जिससे व्यथित होकर अभियुक्त/अपीलार्थी हरेंद्र निगम द्वारा यह अपील पेश की गई है।

05. अपीलार्थी/अभियुक्त हरेंद्र निगम की ओर से वर्तमान अपील मुख्य रूप से इन आधारों पर पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित दोषसिद्धी एवं दण्डादेश विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अभियुक्त/अपीलार्थी हरेंद्र निगम निर्दोष है एवं वह कभी फरार नहीं हुआ है और उसकी पुलिस द्वारा कभी कोई तलाश नहीं की गई है, बल्कि पुलिस द्वारा झूठा फरारी पंचनामा बनाकर समस्त कागजी कार्यवाही की गई है। घटना के स्वतंत्र साक्षी तहसीलदार सिंह व अमरेश सिंह ने घटना का कोई समर्थन नहीं किया है। शेष साक्षीगण पुलिस विभाग में पदस्थ होकर हितबद्ध साक्षी हैं, जिनके कथनों में काफी विरोधाभास है। अतः प्रस्तुत अपील में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा धारा 174-क भा0दं0सं0 के अंतर्गत की गई दोषसिद्धी व दण्डादेश को अपास्त करते हुए अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

06. राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने आलोच्य दोषसिद्धी एवं दंडादेश को विधि एवं तथ्यों के अनुरूप होना दर्शाते हुये अपीलार्थी की अपील को सारहीन होने से निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

07. अपीलार्थी/अभियुक्त हरेंद्र निगम की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री यजवेंद्र श्रीवास्तव एवं प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री दीवानसिंह गुर्जर को सुना गया। अधीनस्थ न्यायालय के आपराधिक प्रकरण क्र 764/2011 (म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र गोहद जिला भिण्ड विरुद्ध हरेंद्र निगम) का अवलोकन किया गया।

08. अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अपील के निराकरण के लिये विचारणीय प्रश्न निम्न है:-

“क्या अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक-764/2011 में अभियुक्त अपीलार्थी हरेंद्र निगम के विरुद्ध आलोच्य दोषसिद्धि एवं दण्डादेश का जो निष्कर्ष निकाला है, वह त्रुटिपूर्ण होकर अपास्त किये जाने योग्य है ?”

::- निष्कर्ष के आधार:-:

09. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुये इस अपील प्रकरण के एवं उसके साथ संलग्न अधीनस्थ न्यायालय के आपराधिक प्रकरण क्रमांक 764/11 (म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र गोहद जिला भिण्ड विरुद्ध हरेंद्र निगम) के संपूर्ण अभिलेख का गहनता से परिशीलन किये जाने पर पाया जाता है कि नरेंद्र कुमार त्रिपाठी अ0सा0-4 का अपने न्यायालयीन कथनों में कहना है कि दिनांक 28.03.11 को थाना गोहद चौराहा में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ रहते हुये एसडीओपी से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उसने उक्त दिनांक को अभियुक्त हरेंद्र निगम के विरुद्ध धारा 420 व 506-बी भा0दं0सं0 के अंतर्गत अप0क्र0 33/11 पर प्र0पी0-5 के अनुसार अपराध पंजीबद्ध किया था एवं मामले की विवेचना एएसआई बी0एल0 बंसल को सौंपी थी, जिसकी पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट की सत्य प्रतिलिपि प्र0पी0-5 के अवलोकन से भी होती है।

10. सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक बी0एल0 बंसल अ0सा0-2 का भी अपने न्यायालयीन कथनों में कहना है कि दिनांक 26.07.11 को थाना गोहद चौराहा में एएसआई के पद पर पदस्थ रहते हुये अप0क्र0 33/11 धारा 420, 467, 468 भा0दं0सं0 में अभियुक्त हरेंद्र के फरार होने के कारण उसके द्वारा प्रस्तुत

कार्यवाही पर से अभियुक्त हरेंद्र के विरुद्ध न्यायालय द्वारा धारा 82 दं०प्र०सं० के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की गई थी और उद्घोषणा जारी होने के बाद भी अभियुक्त हरेंद्र न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ था। इस कारण से उसने अभियुक्त हरेंद्र के विरुद्ध धारा 174-क भा०दं०सं० के अंतर्गत थाना गोहद चौराहा में अप०क्र० 102/11 पर प्र०पी०-2 के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करते हुये मामले में अनुसंधान किया था, जिसकी पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी०-2 सह गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी०-1 के अवलोकन से भी होती है।

11. प्रधान आरक्षक मोहर सिंह अ०सा०-3 ने भी अपने न्यायालयीन कथनों में उपरोक्तानुसार कथन करते हुये विवेचक बी०एल० बंसल अ०सा०-2 के उक्त कथनों को पुष्ट किया है तथा विचारण न्यायालय के समक्ष अभिलेख पर प्रस्तुत दस्तावेज आदेश पत्रिका दिनांकित 20.06.11 प्र०पी०-3 एवं उद्घोषणा पत्र प्र०पी०-6 के अवलोकन से भी विवेचक बी०एल० बंसल अ०सा०-2 के उक्त कथनों की पुष्टि होकर दिनांक 20.06.11 को अभियोगी पक्ष के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर से न्यायालय श्री सुशील कुमार जेएमएफसी गोहद द्वारा थाना गोहद चौराहा के अप०क्र० 33/11 में अभियुक्त हरेंद्र के फरार होने के कारण उसके विरुद्ध धारा 82 दं०प्र०सं० के अंतर्गत उद्घोषणा पत्र जारी किया जाना पाया जाता है, लेकिन मामले में विवेचक बी०एल० बंसल अ०सा०-2 द्वारा अपने न्यायालयीन कथनों में जारी उद्घोषणा पत्र को धारा 82 दं०प्र०सं० में उपबंधित विधिक प्रावधान सहित न्यायालय के आदेश दिनांक 20.06.11 के अनुसार विधिवत प्रकाशित किये जाने अर्थात् अभियुक्त के निवास संबंधी नगर या ग्राम के सहजदृश्य स्थान में उद्घोषणा पत्र सार्वजनिक रूप से पढ़े जाने एवं अभियुक्त के गृह या वास स्थान तथा नगर या ग्राम के किसी सहजदृश्य भाग पर उद्घोषणा पत्र चस्पा किये जाने के संबंध में कुछ भी प्रकट नहीं किया गया है। अतः अभिलेख पर उद्घोषणा पत्र का धारा 82 दं०प्र०सं० में उपबंधित विधिक प्रावधान अनुसार विधिवत प्रकाशन अभियोगी/पुलिस पक्ष द्वारा कर दिये जाने के संबंध में अभिलेख पर मूल साक्ष्य का अभाव होना पाया जाता है।

12. यद्यपि मामले में बी०एल० बंसल अ०सा०-2 ने अपने न्यायालयीन कथनों में समाचार पत्र के प्रकाशन को प्र०पी०-7 होना बताया है, लेकिन कथित दस्तावेज प्र०पी०-7 के अवलोकन से पाया जाता

है कि वह समाचार पत्र की मूल प्रति नहीं होकर मात्र "कटिंग" के रूप में एक छोटी सी आधी-अधूरी फोटोप्रति है और न कि पूरे समाचार पत्र की फोटोप्रति है और न ही प्र०पी०-7 के "कटिंग" की फोटोप्रति में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि उद्घोषणा पत्र को किस दैनिक समाचार पत्र में व किस दिनांक को प्रकाशित कराया गया है एवं कथित समाचार पत्र किस क्षेत्र विशेष में प्रचलित रहा है तथा उद्घोषणा पत्र के प्रकाशन संबंधी समाचार पत्र की कथित मूल प्रति को अभिलेख पर संबंधित विवेचक/थाना प्रभारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कर पाने के संबंध में कोई समुचित व योग्य कारण भी न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है, बल्कि प्रतिपरीक्षण के दौरान स्वयं विवेचक बी०एल० बंसल अ०सा०-2 ने यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि दस्तावेज प्र०पी०-7, समाचार पत्र का पूरा अंक नहीं है और वह केवल छायाप्रति है एवं प्र०पी०-7 में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि उद्घोषणा संबंधी समाचार किस समाचार पत्र में छापा गया है। अतः धारा 82 दं०प्र०सं० में उपबंधित विधिक प्रावधान सहित न्यायालय के आदेश दिनांक 20.06.2011 के पालन में अभियोगी/पुलिस पक्ष के द्वारा अभियुक्त हरेंद्र के विरुद्ध उसके निवासरत क्षेत्र में परिचालित दैनिक समाचार पत्र में उद्घोषणा पत्र का प्रकाशन भी संदेह से परे साबित होना नहीं पाया जाता है।

13. प्रधान आरक्षक मोहर सिंह अ०सा०-3 का अपने न्यायालयीन कथनों में कहना है कि न्यायालय द्वारा धारा 82 दं०प्र०सं० के अंतर्गत उद्घोषणा पत्र जारी होने के बाद दिनांक 26.06.11 को वह दरोगा जी एसआई बी०एल० बंसल के साथ गया था एवं दरोगा जी ने ग्राम चंबल विण्डवा में जाकर अप०क्र० 33/11 धारा 420, 467, 468 व 506-बी के अभियुक्त हरेंद्र की तलाश की थी और उसके घर पर पता कर उद्घोषणा पत्र चस्पा किया था व फरारी पंचनामा बनाया था, लेकिन दिनांक 26.06.11 को बनाया गया कोई फरारी पंचनामा अभिलेख पर नहीं है और स्वयं विवेचक बी०एल० बंसल अ०सा०-2 का भी अपने न्यायालयीन कथनों में प्रधान आरक्षक मोहर सिंह अ०सा०-3 द्वारा उपरोक्तानुसार बताये अनुसार कुछ भी कहना नहीं है, बल्कि प्रतिपरीक्षण के दौरान प्र०आर० मोहर सिंह अ०सा०-3 का कहना है कि उसने फरारी पंचनामा पर कोई हस्ताक्षर नहीं किये थे और पंचनामा प्र०पी०-8 पर गांव के दो-तीन लोगों ने हस्ताक्षर किये थे जिनके नाम वह नहीं जानता है, जबकि प्र०पी०-8 का पंचनामा 26.06.11 का नहीं

होकर दिनांक 13.08.11 का है। अतः प्र0आर0 मोहर सिंह अ0सा0-3 के उक्त कथन, जो कि अनुसमर्थनकारी स्वरूप भर के हैं, विश्वासप्रद स्वरूप के नहीं रह जाते हैं।

14. अभियोजन के अनुसार उदघोषणा पत्र को अभियुक्त हरेंद्र के घर पर चस्पा कर किये जाने के बिंदु से संबंधित दोनों स्वतंत्र साक्षीगण तहसीलदार सिंह अ0सा0-5 एवं अमरेश सिंह अ0सा0-6 ने अपने मुख्य परीक्षण में उदघोषणा पत्र चस्पा किये जाने के संबंध में कुछ भी प्रकट नहीं किया है, बल्कि अभियुक्त हरेंद्र को नहीं जानना प्रकट करते हुये पुलिस को उक्त संबंध में कोई कथन नहीं दिया जाना बताया है। अभियोजन की ओर से एडीपीओ द्वारा उक्त दोनों साक्षीगण से विस्तृत सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उनके कथनों में ऐसी कोई बात भी अभिलेख पर नहीं आई है, जो कि अभियुक्त के विरुद्ध उदघोषणा पत्र के चस्पा किये जाने के बिंदु पर अभियोजन के मामले को बल प्रदान करती हो, बल्कि उक्त संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा रखे गये समस्त सुझावों को दोनों ही साक्षीगण ने दृढतापूर्वक गलत होना बताते हुये पुलिस को कमशः प्र0पी0-8 व 10 के अनुसार कथन दिये जाने से इंकार किया है। अतः अभियोजन के अनुसार स्वतंत्र एवं प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण तहसीलदार सिंह अ0सा0-5 व अमरेश सिंह अ0सा0-6 के कथनों से भी अभियोजन का मामला रंचमात्र भी पुष्ट होना नहीं पाया जाता है और अभिलेख के परिशीलन से ऐसा भी दर्शित नहीं होता है कि उक्त दोनों साक्षीगण अभियोजन के मामले से असत्य रूप से मुकर गये हैं।

15. अभियोजन पक्ष की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष अभिलेख पर प्रस्तुत दस्तावेज प्र0पी0-4 के अवलोकन से भी पाया जाता है कि वह उदघोषणा पत्र जारी करने वाले न्यायालय श्री सुशील कुमार चौहान जेएमएफसी गोहद द्वारा अभियुक्त हरेंद्र की उपस्थिति के लिये नियत दिनांक 26.07.11 की आदेश पत्रिका है और जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त आदेश पत्रिका में इस संबंध में कुछ भी लेख नहीं है कि अभियुक्त हरेंद्र के संबंध में जारी उदघोषणा पत्र को धारा 82 दं0प्र0सं0 में उपबंधित विधिक प्रावधान सहित न्यायालय के आदेशानुसार अभियुक्त के विरुद्ध अभियोगी/पुलिस पक्ष द्वारा विधिवत प्रकाशित कर दिया गया है, बल्कि उक्त आदेश पत्रिका में मात्र यह लेख है कि अभियुक्त हरेंद्र के संबंध में उदघोषणा प्रतिवेदन पेश कर उपस्थित एसआई श्री सेंगर ने आरोपी हरेंद्र के विरुद्ध

आगामी कार्यवाही हेतु समय चाहा, जो दिया गया। साथ ही स्वयं विवेचक बी०एल० बंसल द्वारा लेखबद्धप्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी०-2 में भी जारी उदघोषणा पत्र को धारा 82 दं०प्र०सं० में उपबंधित विधिक प्रावधान सह न्यायालय के आदेशानुसार विधिवत प्रकाशित कर दिये जाने के संबंध में भी कुछ भी लेख नहीं है। अतः उक्त संबंध में मामले में अभियोगी पक्ष के विपरीत उपधारणा होती है। ऐसी स्थिति में मामले में शेष साक्षी उदय सिंह गुर्जर अ०सा०-1, जो कि मात्र गिरफ्तारी का साक्षी होकर औपचारिक स्वरूप का साक्षी है, के कथनों की विषय विवेचना किया जाना आवश्यक नहीं रह जाता है।

16. अतः उपरोक्तानुसार निष्कर्षित एवं विश्लेषित परिस्थितियों के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि मामले में अभियुक्त हरेंद्र के विरुद्ध संबंधित न्यायालय द्वारा दिनांक 20.06.11 को पेशी दिनांक 26.07.11 के लिये उदघोषणा पत्र जारी किया जाना तो साबित है, लेकिन धारा 82 दं०प्र०सं० में उपबंधित विधिक प्रावधानों सहित उदघोषणा जारी करने वाले संबंधित न्यायालय के आदेश दिनांक 20.06.11 के अनुसार जारी उदघोषणा पत्र का अभियोगी/पुलिस पक्ष द्वारा विधिवत प्रकाशन किया जाना मामले में युक्तियुक्त संदेह से पूरे साबित नहीं है। ऐसी स्थिति में योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियुक्त हरेंद्र के विरुद्ध धारा 174-क भा०दं०सं० के आरोप में की गई दोषसिद्धि व दण्डादेश निश्चित ही अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य सहित विधिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं होकर त्रुटिपूर्ण होने से इस अपील न्यायालय की शक्तियों के अधीन हस्तक्षेप योग्य है एवं स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। तदनुसार अभियुक्त/अपीलार्थी हरेंद्र निगम की ओर से प्रस्तुत यह अपील उचित होने से स्वीकार कर मामले में योग्य विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त हरेंद्र के विरुद्ध धारा 174-क भा०दं०सं० में पारित दोषसिद्धि एवं दण्डाज्ञा दिनांकित 31.07.17 को विधि एवं तथ्य के विपरीत होकर त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किया जाता है।

17. अभियुक्त हरेंद्र के द्वारा मामले में विचारण न्यायालय के समक्ष जमा कराई गई संपूर्ण अर्थदण्ड की राशि 1000/- रुपये विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को विधिवत वापस की जावे।

18. अभियुक्त के जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

19. निर्णय की प्रति सहित आपराधिक प्रकरण क्रमांक 764/11 का मूल अभिलेख विचारण न्यायालय को सूचनार्थ एवं पालनार्थ भेजा जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(सतीश कुमार गुप्ता)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड (म.प्र.)

(सतीश कुमार गुप्ता)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड (म.प्र.)